25.6.18

राम किशन

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। सुना गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मनोहरपुरा की जमाबंदी के खाता सं. नया-पुराना 17-84,85 किता 2 रकबा 10-11-00 बीघा वाद 3 वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोपाल पुत्र रामबक्स जमना पुत्र रामबक्स जाति कुमावत से खरीद किया था विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय केकड़ी में दिनांक 2-12-10 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 505 में पृष्ठ सं. 184, की उप सं. 3784/10 पर पंजीयन किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 19 के पेज क्रमांक 721 से 723 पर चस्पा है। वादी का कथन है कि उपरोक्त रूप से ही वादी का कब्जा काश्त है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना सं. F (11)(64) आर एण्ड पी

सा० न्याय अ. वि०/ 09/47032 दिनांक 28.8.2007 क्रमांक 56 पर भगारथी दमामी को पिछड़े वर्ग मे माना गया था- मैने नामा० करवाने हेतु तह० को निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लेकर आने पर नामा० खोलने की बात कही है इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अत: प्रार्थी ने दावा प्रस्तुत किया। तह० केकड़ी ने उपपंजीयक केकड़ी की है जिसके से विक्रय पत्र पंजीयन किया है उस दिन भारत सरकार व राज्य सरकार की अधिसूचना मे दमामी को अन्य पिछड़ा वर्ग मे अंकित किया हो तो समस्त नियमो के परिदृश्य मे जाँच करने के उपरांत क्रेता के नामा० किया जाने की कार्यवाही तहसीलदार सरवाड़ को नियमानुसार करनी चाहिए। यदि रजि० के दिन दमामी अन्य पिछड़ा वर्ग मे नही होकर अनु० जाति मे दर्ज है तो तहसीलदार सरवाड़ को नियमानुसार कार्यवाही उस अनुरूप करनी चाहिए। दावा खातेदारी घोषणा का नही होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा० खुलवाने का है।

अत: मजमे आम मनोहरपुरा मे निर्णय खुले न्यायालय अटल लेखा कर मजमे आम मे सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ [illegible]मेरी